अध्याय–4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2012-13 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में दिखाई देने वाली कमियों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

4.1 राजस्व

4.1.1 गृहकर की दरों को संशोधित न किये जाने के कारण हानि

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर की दरों को संशोधित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 65 में प्रावधान है कि नगर निगम भवन एवं भूमि पर गृहकर लगाने को अधिकृत है जो कि ऐसे भवनों एवं भूमि के वार्षिक मूल्य पर 7.5 प्रतिशत से कम तथा 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निदेशक, शहरी विकास ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को निदेश (नवम्बर, 2003) दिया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2002-03 से प्रति वर्ष गृहकर की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि 2006-07 के अन्त तक 12.5 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि चार शहरी स्थानीय निकायों **(परिशिष्ट-20)** ने गृहकर की दरों के संशोधन के लिए अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था तथा गृहकर के लिए मांग 7.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के मध्य तक की विभिन्न दरों पर उद्ग्रहीत किए जाने के परिणामस्वरूप 2003-12 के दौरान ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (अक्तूबर 2012-फरवरी 2013) कि गृहकर की दरों को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

4.1.2 बकाया गृहकर

प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण आठ शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के कारण ₹ 5.33 करोड़ का राजस्व बकाया रहा।

आठ शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें: दो तथा नगर पंचायतें: छ:) में मार्च 2008 तक ₹ 5.10 करोड़ का अदत्त गृहकर अथशेष था तथा 2008-13 **(परिशिष्ट-21)** के दौरान ₹ 1.18 करोड़ की मांग उठाई गई थी। तथापि, सम्बंधित अवधि के दौरान मार्च 2013 तक ₹ 5.33 करोड़ के अदत्त शेष को छेड़कर, गृहकर का संग्रहण मात्र ₹ 0.95 करोड़ तक था। वसूली की गति धीमी थी क्योंकि चालू मांग की वसूली भी नहीं की जा सकी थी। गृहकर की वसूली न होने से उपरोक्त सीमा तक शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित किया जिन्हें अन्य विकासशील कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। सचिव, नगर पंचायत, सरकाघाट ने बताया (नवम्बर 2012) कि लोग गृहकर का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा स्वच्छता सुविधाओं की मांग कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत स्ट्रीट

लाईटें, सड़कें, निकास, गलियों की सफाई आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध करवा रही है परन्तु गृहकर वसूली के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवम्बर 2012-फरवरी 2013) कि चूककर्त्ताओं के विरूध बकाया वसूली के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई थी।

4.1.3 गृहकर का न लगाया जाना

नगर परिषद्, बद्दी ने गृहकर नहीं लगाया।

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 को जारी अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत बद्दी (नवम्बर 2009 से नगर परिषद् बद्दी के रूप में उन्नयन) को ऐसे भवन एवं भूमि पर, जो उनके वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम न हो, के ऊपर गृहकर लगाने को अधिकृत किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद् बद्दी के क्षेत्र में 2,553 कुटुम्ब थे, परन्तु उपरोक्त अधिनियम एवं अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार गृहकर अभी तक नहीं लगाया गया था। अत:, गृहकर के न लगाये जाने के कारण नगर परिषद बद्दी राजस्व से वंचित रही जिसे विभिन्न विकासशील गतिविधियों पर प्रयुक्त किया जा सकता था।

4.1.4 स्वच्छता कर की वसूली न होना

नगर परिषद्, बद्दी ₹ 20.67 लाख राशि का स्वच्छता कर लगाने में असफल रही।

राज्य सरकार की अधिसूचना (अगस्त 1990) के अनुसार नगरपालिका के पास प्रत्येक निजी भवन/अन्य रिहायसी भवन पर ₹ 5 प्रति माह की दर पर स्वच्छता कर तथा सम्बंधित नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक दुकान के लिए ₹ 7.50 प्रति माह की दर पर कर लगाने के लिए अधिकृत है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् बद्दी के क्षेत्र में 2,553 रिहायसी भवन तथा 80 होटल/गैस्ट हाऊस थे परन्तु निर्धारित दर पर किसी तरह का स्वच्छता कर वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1999 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 20.67 लाख[6] की वसूली नहीं हुई।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि स्वच्छता कर के उद्ग्रहण का मामला नगर परिषद् के सदन के सामने लाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वच्छता कर के न लगाये जाने के कारण नगर परिषद् बद्दी ₹ 20.67 लाख की आय से वंचित रही।

4.1.5 विद्युत कर की वसूली न होना

नगर परिषद् बद्दी ₹ 54.23 लाख का विद्युत कर लगाने में असफल रही।

राज्य सरकार ने नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत उपभोग पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर पर कर संग्रहित करने के लिए नगर परिषद् को प्राधिकृत (अप्रैल, 2002)किया।

[6] भवनों की संख्या (2553+80) = 2633; लगी अवधि= 157 महीने;
वसूली योग्य राशि= 2633x5x157 = ₹ 20,66,905 अर्थात ₹ 20.67 लाख।

नगर परिषद् बद्दी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् क्षेत्र के अन्दर अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक 54,23,05,600 यूनिटों का विद्युत उपभोग हुआ था तथा इस पर ₹ 54.23 लाख का विद्युत कर जोड़ा गया था। तथापि, नगर परिषद् ने इसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से वसूल नहीं किया था जिसे इसका संग्रहण उपभोक्ताओं से करना था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2012) कि कर की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.1.6 किराये की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकाय आवंटितियों से दुकानों का ₹ 1.92 करोड़ की राशि का किराया वसूल करने में असफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम 1994 की धारा 258 (i) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगरपालिका को देय है तथा पंद्रह दिनों के भीतर, जब यह देय है, भुगतान किये बिना रहती है, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, जैसा भी मामला हो, सम्बंधित व्यक्तियों को मांग अधिसूचना जारी करेगा। अधिनियम मे यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए कोई भी देय राशि बिना किसी भेदभाव के संग्रहण के किसी अन्य माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

यह पाया गया कि सात शहरी स्थानीय निकायों (तीन नगर परिषदें तथा चार नगर पंचायतें) में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा धारित दुकानों/स्टालों के आवंटितियों के प्रति मार्च 2011 **(परिशिष्ट-22)** तक ₹ 2.00 करोड़ राशि के किराया प्रभारों की वसूली लम्बित थी। इसके अतिरिक्त 2008-13 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किराएदारों/पट्टेधारों के प्रति ₹1.33 करोड़ की मांग की गई थी। ₹ 3.33 करोड़ की कुल मांग के प्रति मार्च 2013 तक ₹ 1.92 करोड़ की अदत्त वसूली को छोडकर केवल ₹ 1.41 करोड़ ही वसूल किए गये थे। शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (दिसम्बर 2012-फरवरी 2013) कि चूककर्त्ताओं को सूचना जारी कर दी गई थी तथा राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी।

4.1.7 पट्टाधन की अदत्त वसूली

नगर निगम शिमला ₹ 32.84 लाख के पट्टाधन की वसूली करने में असफल रहा।

नगर निगम, शिमला ने विकसित दुकानों/स्टालों तथा भूमि को निजी व्यक्तियों को किराया आधार पर पट्टे पर दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2009-10 से पहले 852 दुकानें/स्टाल निजी व्यक्तियों को किराया पट्टे पर दी थी तथा मार्च 2013 तक 2009-13 की अवधि के लिए ₹ 32.84 लाख की राशि पट्टा किराए के रूप में वसूल नहीं की गई।

देय तथा वास्तव में प्राप्त किराया प्रभार का वर्षवार विवरण निम्नवत् **तालिका 15** में दिया गया है:

तालिका 15: पट्टा धन की अदत्त वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	संग्रहण	अदत्त
2009-10	14.62	178.82	193.44	3.26	190.18
2010-11	190.18	69.79	259.97	181.70	78.27
2011-12	78.27	29.00	107.27	9.46	97.81
2012-13	97.81	29.33	127.14	94.30	32.84
योग		**306.94**		**288.72**	

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा गया है, 2009-13 के दौरान नगर निगम, शिमला ने ₹ 321.56 लाख (2009-10 की शुरूआत में अथशेष: ₹ 14.62 लाख+2009-13 के दौरान वसूली के लिए देय ₹ 306.94 लाख की राशि) की देय राशि के प्रति ₹ 288.72 लाख संग्रहित किए गये थे। नगर निगम ने किराए के वसूल न किए जाने के लिए कोई कारण न देते हुए बताया (सितम्बर 2012) कि अदत देयों की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं को सूचना जारी की जा रही थी।

4.1.8 मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल संप्रेषण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क तथा ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क उद्ग्रहित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया।

सात शहरी स्थानीय निकायों में 2004-12 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गये थे परन्तु सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय मार्च 2011 तक 83 टावरों के सम्बंध में **(परिशिष्ट-23)** ₹ 47.05 लाख के प्रभारों की वसूली नहीं कर पाए थे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (अप्रैल 2012-दिसम्बर 2012) कि देयों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

4.2 स्थापना पर व्यय आधिक्य

तीन शहरी स्थानीय निकायों ने मानदंडो के आधिक्य में ₹ 3.14 करोड़ का व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम की धारा 53 (i) (ग) तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 75 (i) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कुल व्यय का एक तिहाई से अधिक स्थापना पर व्यय नहीं होना चाहिए।

तीन शहरी स्थानीय निकायों में 2009-12 के दौरान कुल ₹ 18.75 करोड़ का व्यय हुआ था, परन्तु स्थापना पर व्यय किए जाने वाले ₹ 6.25 करोड़ की अनुमत सीमा के प्रति उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप स्थापना पर व्यय को विनियमित नहीं किया गया था, इन शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 9.39 करोड़ का

व्यय किया था। अतः 2009-12 (**परिशिष्ट-24**) के दौरान निर्धारित मानकों के आधिक्य में ₹ 3.14 करोड़ का समेकित व्यय हुआ था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2012-जनवरी 2013) कि व्यय आधिक्य महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वेतनमानों के संशोधन तथा दैनिक भोगी स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के कारण हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमत सीमाओं के आधिक्य से वेतन पर व्यय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।

4.3 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत निधियों का अवरोधन

नगर निगम शिमला ने शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े गए/जीर्ण सिवरेज तथा लुप्त लाईनों में सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत ₹ 12.33 करोड़ का प्रयोग नहीं किया।

शिमला शहर में मौजूदा सिवरेज नेटवर्क, जोकि ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था, बहुत पुराना है तथा जनसंख्या में वृद्धि एवं नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के विस्तार के कारण यह सिवरेज नेटवर्क शहर की वर्तमान एवं भविष्य की मांगों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मौजूदा सिवरेज नेटवर्क के सुधार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की केन्द्रीय संस्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति ने ₹ 54.74 करोड़ के लिए लुप्त लाईनों में सिवरेज नेटवर्क तथा छोड़े गए क्षेत्र के जीर्णोद्धार को अनुमोदित (फरवरी, 2010) किया। केन्द्र, राज्य तथा नगर निगम शिमला के मध्य लागतांश 80:10:10 के अनुपात में था।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, उक्त परियोजना अनुमोदन की तिथि से 36 माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जानी थी। नगर निगम, शिमला ने सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार को प्रारंभ करने के लिए मई 2010 में पहली किश्त के रूप में ₹ 12.33 करोड़ (केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 9.70 करोड़ तथा राज्य अंश के रूप में ₹ 2.63 करोड़) प्राप्त किए।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन, निष्पादित कार्यों तथा इन कार्यों पर प्रयुक्त निधियों की प्रास्थिति दर्शाने वाले, निधियन अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि कार्य मार्च 2013 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। नगर आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2012) कि इस परियोजना की स्वीकृति से पहले भारत सरकार ने शिमला की जलापूर्ति के जीर्णोद्धार के लिए ₹ 72.36 करोड़ की राशि की अन्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन (फरवरी 2009) किया था तथा राज्य सरकार ने अभियांत्रिकी, उपार्जन एवं निर्माण माध्यम के बजाय लोक जन भागीदारी माध्यम से दोनों के परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नई बोलियां मंगवाई तथा सिवरेज नेटवर्क की नीलामी प्रक्रिया रद्ध करने का निर्णय (मार्च 2011) लिया था। नई बोलियां लगवाने के आमंत्रण की प्रक्रिया अप्रैल, 2012 में नगर निगम, शिमला द्वारा प्रारम्भ की गई थी तथा तकनीकी नीलामियों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही बताई गई थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शिमला की जलापूर्ति स्कीम की संस्वीकृती का तथ्य एक व्यवस्थित तरीके से कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए था। लोक

जन भागीदारी माध्यम में दोनों कार्यों के निष्पादन का मुद्दा भी भारत सरकार से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संस्वीकृति प्राप्त करने से काफी पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

अतः, नगर निगम, शिमला की तरफ से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 12.33 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त जीर्ण सिवरेज नेटवर्क की समस्या न सुलझने के परिणामस्वरूप शहर में अस्वास्थ्यकर स्थितियां बनी।

4.4 देयता का सृजन

जल बिलों के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 112.66 करोड़ की देयता का सृजन हुआ।

नगर निगम, शिमला नगर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, जलापूर्ति सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है तथा बिल समय-समय पर अनुमोदित दरों पर उद्ग्रहीत किए जाते हैं।

यह पाया गया था कि नगर निगम शिमला के पास मार्च 2012 तक सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को भुगतान करने वाले जल बिलों पर आधारित ₹ 112.66 करोड़ की देयता अदत्त थी। यह भी पाया गया कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ₹ 14.20 प्रति किलोलीटर की दर पर जलापूर्ति कर रहा था जबकि जल प्रभार घरेलू उपभोक्ताओं से ₹ 7.50 प्रति किलोलीटर की दर पर प्राप्त किए जा रहे थे। अतः, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभारित दरों तथा जिन्हें घरेलू उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है, के मध्य बहुत बड़ा अन्तर था। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को भुगतान योग्य जल की लागत तथा घरेलू उपभोक्ताओं से वास्तविक रूप से प्रभारित दरों में भिन्नता से ₹ 112.66 करोड़ की देयता का सृजन हुआ। मार्च 2013 तक प्रयोक्ताओं से वसूलने योग्य ₹ 112.66 करोड़ की देयता का निस्तारण तथा दरों में बड़ी भिन्नता के लिए कोई विवेकपूर्ण कारण अग्रेषित नहीं किए गये थे।

4.5 आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

नगर निगम शिमला ने अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण ₹ 24.52 करोड़ का आकस्मिक अग्रिम समायोजित/वसूल नहीं किया।

आकस्मिक व्ययों को चुकाने के लिए, अस्थायी/आकस्मिक अग्रिम नगर निगम शिमला द्वारा अपने विभिन्न विभागों को समय-समय पर भुगतान किए जाते हैं। यह देखने में आया कि मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 24.52 करोड़ के कुल आकस्मिक अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित थे। समायोजन के लिए अपेक्षित अग्रिमों के विभागवार विवरण निम्नवत् **तालिका 16** में दिए गये हैं:

तालिका 16: असमायोजित अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष विवरण	अवधि	31.03.11 तक अथ शेष	2011-12 के दौरान जोड़	योग	2011-12 के दौरान समायोजित	31.3.12 तक अदत्त
1.	460-10-01	गृह निर्माण अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	0.16	0	0.16	0.12	0.04
2.	460-10-01	परिवहन	1.4.07 से 31.3.12	4.27	9.08	13.35	13.17	0.18
3.	460-10-01	वाहन	1.4.07 से 31.3.12	0.17	0	0.17	0.09	0.08
4.	460-10-01	गर्म वस्त्र अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	35.00	0	35.00	28.63	6.37
5.	460-10-01	चिकित्सा	1.4.07 से 31.3.12	1.75	4.39	6.14	1.67	4.47
6.	460-10-01	लोक निर्माण कार्य	1.4.07 से 31.3.12	2.69	4.30	6.99	0	6.99
7.	460-10-01	भण्डार/सामग्री	1.4.07 से 31.3.12	54.80	102.08	156.88	131.40	25.49
8.	460-10-01	स्थाई अग्रिम	1.4.07 से 31.3.12	0.38	0.78	1.16	0.77	0.39
9.	460-10-01	परियोजना	1.4.07 से 31.3.12	518.23	11.94	530.17	0	530.17
10.	460-10-01	स्कीम	1.4.07 से 31.3.12	5.52	46.26	51.78	2.09	49.68
11.	460-10-01	अस्थाई	1945 से 31.3.12	1542.45	73.54	1615.99	173.16	1442.83
12.	460-10-01	स्ट्रीट लाईट	1.4.07 से 31.3.12	215.43	58.30	273.73	49.74	224.00
13.	460-10-01	जलापूर्ति	1.4.07 से 31.3.12	128.96	32.21	161.17	0	161.17
		योग		**2509.81**	**342.88**	**2852.69**	**400.84**	**2451.86 अर्थात ₹ 24.52 करोड़**

इस तथ्य के बावजूद कि सदन नगर निगम शिमला ने सम्बंधित प्राधिकारियों को लम्बे अदत्त अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने तथा 1996 के बाद अभिलेखों की संवीक्षा करने के अनुदेश दिये थे (जून 2006), नगर निगम शिमला के पास इन अग्रिमों का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था। प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सह आयुक्त, नगर निगम, शिमला ने बताया (जुलाई 2012) की पुराने अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम समायोजित नहीं किए जा सके थे। इसने प्राधिकारियों का अग्रिमों की बड़ी राशि के

समायोजन को सुनिश्चित करने में लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाया जिसमें गबन अथवा दुर्विनियोजन के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.6 निरर्थक निवेश

नगर निगम शिमला ने बिना योजना के कार पार्किंगों के निर्माण पर ₹ 25.60 लाख का व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप निरर्थक निवेश हुआ।

शिमला नगर में पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम शिमला ने ₹ 25.60 लाख का व्यय कर के दो कार पार्किंगों, नजदीक सामुदायिक केन्द्र कैथू तथा अग्रवाल धर्मशाला लौंगवुड का क्रमशः अगस्त 2006 तथा जून 2011 में निर्माण करवाया।

यह पाया गया कि दोनों कार पार्किंग निर्माण की तिथि से अप्रयुक्त पड़ी थी। नगर निगम, शिमला ने बताया (अगस्त 2012) कि इन पार्किंगों को पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु किसी भी पार्टी ने इन निविदाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि ये शहर से बाहर पड़ते हैं। इसने पार्किंगों के निर्माण के लिए गलत योजना तथा अनुपयुक्त स्थल के प्रवरण को दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.60 लाख का निरर्थक निवेश हुआ।

4.7 परिसम्पत्तियों का उपयोग न होना

नगर परिषद् बद्दी ने ₹ 4.38 लाख की कुल लागत से निर्मित सामुदायिक सभागार का उपयोग नहीं किया।

नगर परिषद् बद्दी ने ₹ 4.38 लाख की लागत पर वार्ड संख्या 8 (ढाकनु माजरा) में एक सामुदायिक सभागार का निर्माण (मई 2010) करवाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक सभागार बिजली एवं पानी जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण होने के बाद कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, बद्दी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि शीघ्र ही मामला नगर परिषद् सदन के सम्मुख रखा जाएगा। अतः सामुदायिक सभागार की अप्रयुक्तता के कारण ₹ 4.38 लाख का व्यय बहुतायत रूप से निरर्थक रहा था तथा जनता भी अभिप्रेत लाभों से वंचित थी।

4.8 निधियों का अवरोधन

नगर पंचायत, भोटा नगर कूड़े के निस्तारण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद के लिए ₹ 7.50 लाख की निधियों का उपयोग करने में विफल रही।

निदेशक, पंचायती राज, शिमला ने नगर कूड़े के निस्तारण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद के लिए नगर पंचायत भोटा को ₹ 7.50 लाख की राशि क्रमशः अगस्त 2009 (₹ 5.50 लाख) तथा जनवरी 2011 (₹ 2.00 लाख) जारी की। खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं की अनुपालना के बाद प्रत्यक्ष रूप से निर्माण कम्पनी / प्राधिकृत विक्रेता से एक मास के भीतर करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने नवम्बर 2012 तक आवश्यक वाहन नहीं खरीदा था तथा सम्पूर्ण राशि बैंक के बचत खाते में जमा पड़ी रही। सचिव, नगर पंचायत ने बताया (दिसम्बर 2012) कि निधियों की कमी तथा चालक पद के न होने के कारण, जिसके लिए मामला सरकार के सामने रखा गया था, वाहन नहीं खरीदा जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नगर पंचायत अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने तथा चालक पद की सरकार से संस्वीकृति लेने में विफल रही।

लेखापरीक्षा परिणाम सितम्बर 2013 में सरकार को भेज दिये गए थे। उत्तर प्रतीक्षित है।

(सतीश लूम्बा)

शिमला **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

दिनांक: **हिमाचल प्रदेश**